

राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्व विद्यालय  
कार्यालय उद्यान शास्त्री फल अनुसंधान केन्द्र ईटखेड़ी बैरसिया रोड, भोपाल


मो. नं. 8878600042, 9303315367, 9617253054

क्रमांक फ.अ.के./2021-22/ 466

दिनांक : 11/03/2022

निविदा सूचना

- सभी इच्छुक खरीददारों को सूचित किया जाता है कि फल अनुसंधान केन्द्र ईटखेड़ी, बैरसिया रोड भोपाल में आम फसल वर्ष 2021-22 के विक्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक खरीददार अपने-अपने भाव पत्र बन्द लिफाफे में उद्यान शास्त्री फल अनुसंधान केन्द्र ईटखेड़ी में नीलामी तिथि में समय पर उपस्थित रहकर, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय सीहोर द्वारा गठित समिति के समक्ष आम फसल को नीलामी द्वारा विक्रय किया जायेगा। अपने-अपने भावपत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर अपराह्न 2.00 बजे तक जमा करें। इसके बाद प्राप्त टेण्डरों पर विचार नहीं किया जायेगा। टेण्डर दिनांक 23.03.2022 को 3.00 बजे के बाद अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय द्वारा गठित नीलामी समिति के सामने खोले जायेंगे। जिसकी शर्तें निम्न होंगी:-
1. प्रत्येक टेण्डर प्रेषक को आम फसल के लिये 25,000/- जमानत राशि के रूप में नगद जमा करना होगा। यह राशि टेण्डर के बाद पावती रसीद जमा करने से बाद वापस भुगतान कर दी जायेगी एवं जिस भी ठेकेदार की नीलामी के लिए सर्वाधिक राशि होगी उसकी अमानत राशि फसल अवधि समाप्त होने तक कार्यालय में जमा रहेगी एवं अवधि पूर्ण होने पर वापस की जायेगी। फसल अवधि के दौरान कार्यालय या प्रक्षेत्र की संपत्ति को ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने पर जमानत राशि से प्रतिपूर्ति की जायेगी।
  2. स्वीकृत टेण्डर की पूरी रकम ठेकेदार को 24 घण्टे में जमा करनी होगी अथवा इस बीच कोई अवकाश आता है तो आगामी कार्यालयीन दिवस में जमा होगी। ऐसा न करने पर द्वितीय स्थान वाले खरीददार को स्वीकृत टेण्डर की राशि (प्रथम स्थान वाले खरीददार की दर) पर क्रय करने का अवसर होगा।
  3. फसल तोड़ने की अंतिम तिथि 31.07.2022 तक ही रहेगा।
  4. किसी प्रकार का बाद विवाद उत्पन्न होने पर अधिष्ठाता, आर.ए.के. कृषि महाविद्यालय सीहोर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
  5. आम फसल बगीचे का अवलोकन खरीददार स्वयं आकर कर सकते हैं।
  6. फसल की चौकीदारी, रखरखाव एवं किसी भी तरह के नुकसान की पूर्ण जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
  7. आम फसल तुड़ाई के समय श्रमिकों के साथ हुई किसी भी तरह की दुर्घटना की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
  8. जिस भी ठेकेदार को बगीचा नीलाम होगा उनके द्वारा आम के मुख्य बगीचे के अलावा प्रक्षेत्र के अन्य आम के पेड़ों से फल नहीं तोड़ें जायेंगे। जो कि प्रदर्शनी के लिए सुरक्षित किये गये हैं।
  9. उचित कीमत न आने पर टेण्डर/नीलामी निरस्त की जा सकती है।
  10. आम की कलम काटने पर ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
  11. सिंचाई पानी उपलब्ध रहने पर ही दिया जा सकेगा। अधिकतम 3 पानी उपलब्ध होने पर ही दिया जायेगा।
  12. कीटनाशक दवा एवं फफूंद नाशक दवा ठेकेदार को प्रदाय की जायेगी तथा छिड़काव की जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
  13. नीलामी के पश्चात फल वृक्षों में हवा, आंधी, तूफान रोग एवं कीट व्याधि से हुए नुकसान की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
  14. ठेकेदार को अपने निवास का पूर्ण पता राशन कार्ड/फोटो परिचय पत्र/आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करनी होगी जिससे उसके निवास का पता प्रमाणित हो सके।
  15. ठेकेदार को अलग से अस्थाई विद्युत कनेक्शन बिजली जलाने के लिये लेना होगा।
  16. अधिकतम निविदा बोली की राशि स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार समिति को होगा। साथ ही अधिकतम बोली हेतु निर्गोपण (बातचीत) सभी पार्टियों से एक साथ या अलग-अलग की जा सकती है।
  17. टेण्डर की अधिकतम राशि समय पर जमा ना होने पर निविदाकर्ता की जमानत राशि वापिस नहीं की जायेगी।
  18. नगद पैसा या डी. डी. बैंक के माध्यम से नियमानुसार जमा करना होगा।
  19. निविदाकर्ता द्वारा कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों की जानकारी एवं उनका आधारकार्ड/परिचय पत्र/लिखित में प्रमारी को सूचित करेंगे।
  20. फल बेचने के लिये गेट के बाहर गुमटी ठेकेदार अपनी जवाबदारी पर बनाकर बेच सकता है, मुख्य मार्ग अवरोध न हो इसका ध्यान रखते हुए।
- नोट :- विशेष जानकारी हेतु प्रमारी फल अनुसंधान केन्द्र, ईटखेड़ी से सम्पर्क करें।

  
प्रक्षेत्र प्रमारी  
फल अनुसंधान केन्द्र, ईटखेड़ी  
प्रक्षेत्र प्रमारी  
फल अनुसंधान केन्द्र, ईटखेड़ी  
भोपाल (M.P.)